

प्रेसनोट दिनांक 17.08.2022

1. दिनांक 16.08.2022 को वादी श्री श्री सुमित श्रीवास्तव पुत्र विमल कुमार श्रीवास्तव नि० मकान नं० 1/4/119 सहादतगंज थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो०सा० यूपी 42 एयू 4860 बजाज पल्सर चोरी कर लेना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 582/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 16.08.2022 को वादी श्री विजय कुमार पासी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि० बरवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो०सा० यूपी 42 एके 3742 चोरी कर लेना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 586/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 16.08.2022 को वादी श्री मंजीत कुमार प्रजापति पुत्र रामनाथ नि० राजेन्द्र विहार कालोनी करम अली का पुरवा थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बबलू उर्फ मनोज कुमार प्रजापति पुत्र शिवप्रसाद नि० अज्ञात आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 272/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 16.08.2022 को वादी उ०नि० श्री दिनेश चन्द्र यादव थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि ओमप्रकाश वर्मा पुत्र स्व० रामकृपाल नि० पिलखावां थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजयज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 303/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 16.08.2022 को वादी आबकारी निरी० श्री रानू चौधरी क्षेत्र 02 अयोध्या जनपद अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बिट्टन पत्नी रामबक्श नि० केशउआ बुजुर्ग थाना तारुन अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजयज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 236/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 16.08.2022 को वादी आबकारी निरी० श्री रानू चौधरी क्षेत्र 02 अयोध्या जनपद अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुमित्रा पत्नी स्व० हरबक्श नि० केशउआ बुजुर्ग थाना तारुन अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजयज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 237/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 16.08.2022 को वादी उ०नि० श्री बृजेन्द्र नाथ मिश्र थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गंगाराम पुत्र स्व० सोमई नि० नरायणपुर थाना तारुन अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजयज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 238/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 16.08.2022 को वादी श्री राजबली पुत्र सुर्यनरायण यादव नि० मझनाई थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज कुमार पुत्र सुर्यनरायण यादव नि० मझनाई थाना इनायतनगर अयोध्या। आदि 02 नफर अभि० द्वारा घर बटवारे की बात को लेकर वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 375/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 16.08.2022 को वादी श्री अमरजीत सिंह प्र०नि० इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. देवनाथ यादव पुत्र सोमनाथ यादव नि० जाफरपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या। 2. इन्द्रनाथ यादव उर्फ साधू यादव पुत्र गिरधारी लाल यादव नि० नरायणपुर धोबीभार थाना धनपतगंज सुल्तानपुर 3. रजनीश पाण्डेय पुत्र प्रमनरायण पाण्डेय नि० भगवानपुर थाना इनायतनगर अयोध्या। 4. कन्हैयालाल सोनी पुत्र नन्हेलाल नि० हरौरा बाजार थाना धनपतगंज सुल्तानपुर 5. वाटिका यादव पुत्र रामनेवाज नि० लाला का पुरवा बरौली थाना धनपतगंज सुल्तानपुर 6. शिवकुमार उर्फ बबलू पुत्र सन्तराम नि० नरायणपुर थाना इनायतनगर अयोध्या। अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु लूट व डकैती जैसे अपराध कारित कर धनोत्पार्जन करना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 377/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 16.08.2022 को वादी उ०नि० श्री संतोष कुमार मौर्या थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अशोक पुत्र बरसाती नि० पिठला थाना कुमारगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजयज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 191/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
11. दिनांक 16.08.2022 को वादी उ०नि० श्री संतोष कुमार मौर्या थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज कुमार पुत्र रामू नि० पिठला थाना कुमारगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजयज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 192/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।